UPGK010067342026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

नियमित जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 2921/2026,

1- संतोष पुत्र मथुरा प्रसाद,
2- भीम उर्फ हिमांशु पुत्र राम प्रताप,
निवासीगण- बनियापार, थाना- गगहा,
जिला- गोरखपुर। आवेदकगण/अभियुक्तगण,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी,

अपराध संख्या- 312/2026,
धारा- 191 (2),191 (3),110,115 (2),118 (2),352,351 (3) भारतीय न्याय संहिता,
थाना- गगहा, जनपद- गोरखपुर।

17.07.2026

आदेश

नियमित जमानत का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आवेदकगण/अभियुक्तगण संतोष व भीम उर्फ हिमांशु, जो अपराध संख्या- 312/2026, धारा- 191 (2),191 (3),110,115 (2),118 (2),352,351 (3) भारतीय न्याय संहिता, थाना- गगहा, जनपद- गोरखपुर के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 02.07.20226 को समय करीब 05:00 बजे पुरानी रंजिश को लेकर प्रथम सूचनाकर्ता प्राजल के गाँव के सन्तोष, रविन्द्र, राहुल, लालु उर्फ विकास, भीम तथा कुछ अज्ञात व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से हाथ मे तलवार, कुल्हाडी तथा दाव लाठी-डण्डा लेकर प्रथम सूचनाकर्ता के दरवाजे पर यह कहते हुए कि आज रमाश्रय व विनोद दोनो मौके से मिल गये है, खत्म कर दो। उपरोक्त सभी लोग जान से मारने की नीयत से हमला कर दिये। सन्तोष ने प्रथम सूचनाकर्ता के बाबा के ऊपर तलवार से गर्दन व सिर पर तथा रविन्द्र व भीम ने प्रथम सूचनाकर्ता के पिता के सिर पर कुल्हाडी से वार करने लगे। प्रथम सूचनाकर्ता के बाबा व पिता विनोद जान बचाकर हल्ला करते हुए घर मे भागे, तो उपरोक्त सभी लोग घर मे घुसकर बचाने आए सुलेखा व निधी को भी लाठी-डण्डा से सभी लोग मारने पीटने लगे। उपरोक्त मारपीट मे प्रथम सूचनाकर्ता के बाबा रामाश्रय बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े तथा प्रथम सूचनाकर्ता के पिता विनोद के हाथ की ऊगली कट कर बाहर

हो गई है तथा खून देखकर प्रथम सूचनाकर्ता के पिता भी कुछ समय के लिए बेहोश हो गये। शोर गुल कि आवाज सुनकर अगल-बगल के लोगो के आने पर उपरोक्त मुल्जिमान गाली-गुप्ता व जान मारने की धमकी देते हुए भाग गये।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण सर्वथा निर्दोष एवम् निरपराध हैं। असत्य कथनों के आधार पर उसे इस मामले में लिप्त किया गया है। मामले की प्राथमिकी अत्यधिक विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है। प्राथमिकी पंजीकृत कराने में हुए विलम्ब का कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष की तरफ से इस प्रक्रम पर नहीं दिया गया है। प्रथम सूचनाकर्ता के बाबा के सिर व गर्दन पर तलवार की उपहति नहीं है और प्रथम सूचनाकर्ता के पिता विनोद को भी सिर व गर्दन पर कुल्हाडी की कोई उपहति नहीं है। आहत रामाश्रय को धारदार हथियार की कोई उपहति नहीं है। आघात आख्या में जो उपहति अंकित की गयी है, वह उपहतियॉ कठोर व कुन्द वस्तु से आना बताया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण घटना के समय घटना स्थल पर विद्यमान नहीं था। फर्जी बरामदगी दर्शाकर आवेदकगण/अभियुक्तगण को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण दिनांक 04.07.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण व सह-अभियुक्तो द्वारा घातक अस्त्रों से सुसज्जित होकर व एकराय होकर विनोद प्रसाद, रामाश्रय प्रसाद, सुलेखा व निधि को पुनानी रंजिश को लेकर मारपीटकर कर प्राणघातक उपहतियॉ पहुॅचायी गयी हैं तथा उनकी तरफ से 04 आहतों की चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रस्तुत की गयी है। आहत विनोद प्रसाद के हाथ की ऊगली कटकर अलग हो गयी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण व सह-अभियुक्तो द्वारा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी है। अतएव मामले की गम्भीरता एवम् आवेदकगण/अभियुक्तगण की कथित अपराध में भूमिका को देखते हुए उनके द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

मैंने जमानत प्रार्थना-पत्र पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना एवम् समस्त अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण प्राथमिकी में नामित है। प्राथमिकी में आवेदकगण/अभियुक्तगण व सह-अभियुक्तो के विरूद्ध पुरानी रंजिश को लेकर योजनाबद्ध तरीके से हाथ में तलवार, कुल्हाडी, दाव व लाठी-डण्डा लेकर रामाश्रय प्रसाद व विनोद प्रसाद पर वार करने तथा बचने के लिए घर में घुसने पर बचाने आये सुलेखा व निधी को भी लाठी-डण्डा से मारने पीटने तथा विनोद के हाथ की ऊगली कट कर बाहर होने, गाली-गलौज करने तथा जान से मारने की धमकी देने का उल्लेख है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा- 180 के

अन्तर्गत विवेचक को दिये गये कथन में प्रथम सूचनाकर्ता प्राजल के द्वारा कथित अपराध में आवेदकगण/अभियुक्तगण व सह-अभियुक्तो की विशिष्ट भूमिका एवम् भागिता के सम्बन्ध में कथन करते हुए कहा गया है कि सन्तोष इसके बाबा रामाश्रय के ऊपर दांव से गर्दन व सिर पर तथा रविन्द्र व भीम ने इसके पिता के सिर पर कुल्हाड़ी से वार करने लगे, इसके बाबा व पिता विनोद जान बचाकर हो हल्ला करते हुए घर की ओर भागे, तो उपरोक्त सभी लोग घर के सामने मारने-पीटने लगे। शोर सुनकर जब बीच बचाव करने प्रथम सूचनकर्ता व इसकी बहन सुलेखा व निधि आयी, तो उपरोक्त लोग उन्हें भी लाठी-डण्डा से मारने पीटने लगे। मार-पीट के दौरान इसके बाबा रामाश्रय बहोश होकर जमीन पर गिर गये तथा इसके पिता विनोद की दाहिने हाथ की तरजनी ऊगली कट कर अलग हो गई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा- 180 के अन्तर्गत विवेचक को दिये गये कथन में आहत साक्षी रामाश्रय प्रसाद के द्वारा कथन किया गया है कि दिनांक 02.07.2026 को समय करीब 05:00 बजे शाम इसका नाती प्रांजल को गांव के किनारे पोखरी पर रास्ते के विवाद को लेकर गांव के भीम उर्फ हिमांशु, रविन्द्र, राहुल, संतोष कुमार व लालू उर्फ विकास विवाद किये थे। जब इसका नाती वहां से वापस घर आ गया, तो उपरोक्त सभी लोग दुबारा इसके दरवाजे पर चढ़ आये व इसके नाती को गाली गुप्ता देने लगे जब इन लोगों ने मना किया, तो उपरोक्त लोग कुल्हाडी, दाव, लाठी व डण्डा लेकर यह कहते हुए कि रामाश्रय व विनोद दोनों मौके पर मिल गये हैं। आज इन्हीं लोगों को ऐसा सबक सिखा देंगे कि फिर कभी हम लोगों से टकराने की कोशिश नहीं करेंगे। इतने में सन्तोष इसके उपर दांव से गर्दन व सिर पर तथा रविन्द्र व भीम इसके पुत्र विनोद के सिर पर कुल्हाडी से वार करने लगे। जब ये दोनों जान बचाकर हो हल्ला करते हुए घर की ओर भागे, तो उपरोक्त सभी लोग घर के सामाने मारने-पीटने लगे। शोर सुनकर जब बीच बचाव करने इसका नाती प्रांजल व नातिन सुलेखा व निधी आयी, तो उपरोक्त लोग उन्हें भी लाठी डण्डा से मारने पीटने लगे। मारपीट के दौरान यह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया तथा जब यह होश में आया, तो देखा कि इसके पुत्र विनोद की दाहिने हाथ की तरजनी ऊगली कट कर अलग हो गई थी। शोर गुल कि आवाज सुनकर अगल-बगल के लोगों के आने पर उपरोक्त सभी लोग गाली गुप्ता व जान मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गये। उपरोक्त आशय का ही कथन आहत साक्षी विनोद प्रसाद द्वारा भी विवेचक के समक्ष किये गये है।

चिकित्सकीय परीक्षण आख्या में आहत रामाश्रय प्रसाद के शरीर पर 08 उपहतियॉ पायी गयी है, जो निम्नवत हैं- 1. Laceration of size 5 cm x 0.5 cm on right parietal region of head. Advice CT Scan. 2. Laceration of size 3 cm X 0.5 cm ove midparietal region of head. 3. Laceration of size 1cm X 0.5cm over left thumb. 4. Laceration of size 2cm X 0.5 cm over right knee. 5. Laceration of size 0.5cm over left middle finger. 6. Contusion of size 15cm X 2cm over right scapular region of back of red colour. 7. Abrasion of size 5cmX 0.5 cm over left scapular region of back. 8. Complain of pain over posterior side of right arm. आहत के सी0टी0 स्कैन रिपोर्ट में Haemorrhagic contusions of cerebral parenchyma Nekter periforal haematomar Is seen in Rt. High up parletal lobe region Boneueludow calvardien is intact. A Head Injury (As described above.) अंकित है। आहत विनोद प्रसाद के शरीर पर 03 उपहतियॉ पायी गयी है, जो निम्नवत हैं- 1.

Complete traumatic amputation of ring finger of right hand. 2. Abrasion of size 2 cm X 1 cm over posterior side of right side of neck. 3. Complain of pain over posterior side of left arm. For injury no. 1 Patient reffered to district hospital Gorakhpur for further management and expert opinion. आहत के एक्स-रे रिपोर्ट में 1. Loss of middle and distal phalanx of ring finger of Rt hand seen. 2. fracture of middle phalanx of middle finger of Rt hand seen. 3. fracture of proximal phalanx of little finger of Rt hand seen अंकित है। चिकित्सकीय परीक्षण आख्या में आहत सुलेखा के शरीर पर 03 उपहतियॉ पायी गयी है, जो निम्नवत हैं- 1. Abrasion over right mastoid region of head (back of ear) of size 0.5cm x 0.2cm. (redish in colour) 2. Complain of pain overdorrsal aspect of both hands. 3. Complain of pain over lower back. चिकित्सकीय परीक्षण आख्या में आहत निधि के शरीर पर 02 उपहतियॉ पायी गयी है, जो निम्नवत हैं- 1. complain of pain over top of head. 2. Complain of pain over chest. चिकित्सक डाक्टर बृजेश कुमार बरनवाल द्वारा विवेचक के समक्ष कथन किया गया है कि मजरूबगण रामाश्रय व विनोद प्रसाद, सुलेखा, निधि का मेडिकल रिपोर्ट इनके द्वारा तैयार किया गया था। मजरूब रामाश्रय के सिर में गम्भीर चोट तथा हाथ में भी गम्भीर चोट होने के कारण जिला अस्पताल, गोरखपुर रेफर किया गया तथा मजरूब विनोद कुमार के दाहिने हाथ की तर्जनी अंगूली कट कर अलग हो जाने के कारण दवा इलाज करके जिला अस्पताल, गोरखपुर रेफर किया गया था। प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा आवेदकगण/ अभियुक्तगण की विशिष्ट भूमिका होना बताया गया है। इस स्तर पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को प्रश्नगत घटना में मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस एवम् न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत तर्क एवम् बचाव में अभिकथित तथ्य साक्ष्य एवम् विचारण का विषय है।

अतएव मामले के गुण-दोष पर अपनी कोई अन्तिम राय व्यक्त किये बिना, इस मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता तथा आवेदकगण/ अभियुक्तगण की कथित अपराध में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

निष्कर्षतः आवेदकगण/अभियुक्तगण संतोष व भीम उर्फ हिमांशु की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक/गोरखपुर
17 जुलाई, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.07.17 16:19:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court